

फुल-रज़िर्व बैंकगि बनाम फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि

प्रलिस के लयि:

फुल-रज़िर्व बैंकगि, फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि, बैंक संचालन, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगिम

मेन्स के लयि:

भारत में बैंकगि क्षेत्र से संबंघति मुद्द

चर्चा में क्यों?

अर्थशास्त्रियों के बीच फुल-रज़िर्व बैंकगि (100% रज़िर्व बैंकगि) बनाम फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि का मुद्दा चर्चा का वषिय बना हुआ है।

- हालाँकि दोनों प्रणालियों के अपने समर्थक और आलोचक हैं, [आर्थिक विकास](#) तथा [वित्तीय स्थिरता](#) पर उनके संभावति प्रभाव का आकलन करने के लयि उनके बीच महत्त्वपूर्ण अंतर को समझना आवश्यक है।

फुल-रज़िर्व बैंकगि बनाम फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि:

- **फुल-रज़िर्व बैंकगि: जमा की सुरक्षा**
 - फुल-रज़िर्व बैंकगि के तहत बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त [मांग जमा](#) को उधार देने से सख्ती से प्रतबंधित कयि जाता है जसिसे प्रतबंध के जोखमि को कम कयि जा सकता है।
 - इसके बजाय उन्हें केवल संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए इन जमाओं का 100% हमेशा अपने कक्ष (Vaults) में रखना चाहयि।
 - बैंक इस सेवा के लयि शुल्क लेकर जमाकर्ताओं के पैसे के सुरक्षति रक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
 - बैंक केवल सावधि जमा के रूप में प्राप्त धन को उधार दे सकते हैं।
- **फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि: क्रेडिट और जोखमि का वसितार:**
 - फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि प्रणाली, जो वर्तमान में चलन में है, बैंकों को उनकी रज़िर्व में रखी नकदी से अधिक धन उधार देने की अनुमति देती है।
 - यह प्रणाली उधार देने के लयि इलेक्ट्रॉनिक मनी पर बहुत अधिक नरिभर करती है।
 - यदि कई जमाकर्ता एक साथ नकदी की मांग करते हैं तो बैंक बंद होना एक संभावति जोखमि है।
 - बैंक बंद होने से कई जमाकर्ताओं द्वारा एक साथ नकदी की मांग करने का संभावति जोखमि है।
 - हालाँकि केंद्रीय बैंक तत्काल संकट को टालने के लयि आपातकालीन नकदी प्रदान कर सकता है।
- **अलग-अलग दृष्टिकोण:**
 - फ्रैक्शनल-रज़िर्व बैंकगि के समर्थकों का तर्क है कि यह अर्थव्यवस्था को केवल जमाकर्ताओं की वास्तविक बचत पर नरिभर होने से मुक्त करके नविश तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
 - दूसरी ओर, फुल-रज़िर्व बैंकगि के समर्थकों का तर्क है कि यह फ्रैक्शनल-रज़िर्व प्रणाली में नहिति संकटों को रोकता है तथा अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है।

मांग जमा और सावधि जमा के बीच अंतर:

- **मांग जमा:**
 - मांग जमा से तात्पर्य बैंक खाते में रखी धनराशि से है जसि बनिा किसी नोटसि या जुरमाने के किसी भी समय निकाला जा सकता है।
 - इन्हें "चालू खाते" के रूप में भी जाना जाता है।
 - यह रोज़मर्रा के लेन-देन और भुगतान के लयि उच्च तरलता तथा अनुकूलन प्रदान करता है।
 - चूँकि ग्राहक मांग पर धनराशि निकाल सकते हैं, बैंक आमतौर पर इन खातों पर बहुत कम या कोई ब्याज नहीं देते हैं।
- **सावधि जमा:**

- सावधिजमा एक **नश्चिति अवधि** के लिये बैंक खाते में रखी गई धनराशि है, जिसे आमतौर पर "अवधि" या "कार्यकाल" के रूप में जाना जाता है।
 - खाताधारक अवधिसमाप्त होने तक धनराशि नहीं निकालने के लिये सहमत होते हैं।
- पैसे को लॉक करने के बदले में बैंक खाताधारक को मांग जमा की तुलना में **अधिक ब्याज दर से पुरस्कृत करता है।**
 - हालाँकि **परिपक्वता तथि** से पहले धनराशि निकालने पर **आमतौर पर जुर्माना लगता है।**

बैंक से धन निकालने की होड़

■ परिचय:

- बैंक संचालन उस स्थितिको संदर्भित करता है **जहाँ बड़ी संख्या में जमाकर्ता एक साथ बैंक से अपना धन बैंक की सॉल्वेंसी या स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण निकालते हैं।**

■ प्रभाव:

- **चलनधि संकट:** आकस्मिक और बड़े पैमाने पर धन की निकासी से बैंक के लिये **चलनधि संकट (Liquidity Crisis)** उत्पन्न हो सकता है।
 - बैंक के पास सभी निकासी अनुरोधों को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नकदी भंडार नहीं हो सकता है, जिससे जमाकर्ताओं के बीच घबराहट बढ़ सकती है।
- **संक्रामक प्रभाव:** किसी एक बैंक पर निर्भर रहने वाला बैंक प्रभावित हो सकता है, जिससे सिस्टम में शामिल अन्य बैंकों में भय उत्पन्न हो सकता है।
 - यदि इस संक्रामक प्रभाव पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो यह व्यापक **वित्तीय संकट** का कारण बन सकता है।
- **भरोसे की कमी:** एक बैंक के दवालिया होने से **संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से आम जनता का भरोसा गरि सकता है,** जिससे वित्तीय संस्थानों में भरोसे की कमी हो सकती है।
 - इसके परिणामस्वरूप जमा पूंजी में दीर्घकालिक कमी हो सकती है, जिससे बैंकों को ऋण प्रदान करना और आर्थिक विकास का समर्थन करना कठिन हो जाएगा।
- इससे **अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकीकरण में वृद्धि** हो सकती है।

नोट:

भारत में **जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC)** एक नश्चिति सीमा (वर्तमान में प्रति बैंक पर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए) तक बैंक जमा के लिये जमा बीमा प्रदान करता है। हालाँकि बैंक के वफिल होने की स्थिति में इस सीमा से अधिक धनराशि वाले जमाकर्ताओं को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

स्रोत: द हद्रि